

न्यायालय अति. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी डॉ.राजेश गोयल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 156/2020 आवंटन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार
माण्डलगढ

बनाम

1. गोपाल पिता लादू धाकड निवासी धामनियां
तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

—प्रार्थी

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 17 (अ) राजस्थान मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र
में सरकारी भूमि आवंटन नियम 68

उपस्थित -

1. राजकीय अधिवक्ता - प्रार्थी की ओर से
2. श्री राकेश चौहान अधिवक्ता - विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 12.07.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 17 (अ) राजस्थान मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन नियम 68 विरुद्ध विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम कचौलिया खुर्द की आ.न. 225/23 रकबा 2.00 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटि के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटि (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटि का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।



प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 16.10.2019 को दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 6641 दिनांक 30.06.2020 से पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित करते हुये उभयपक्षकारान् को अपनी उपस्थिति न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 27.07.2020 को देने हेतु सूचित किया गया। प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2020 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विपक्षी अधिवक्ता की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम कचौलिया खुर्द की आ.नं. 225/23 रकबा 2.00 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटि के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। मौका रिपोर्ट अनुसार आवंटि (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटि का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रश्नगत आराजी पर विपक्षी का कब्जा हैं। विपक्षी ने आवंटन शर्तो की पालना की हैं व उक्त भूमि पर काबिज हैं। विपक्षीगण का आवंटन की पात्रता रखने के कारण आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विपक्षी

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

को आराजी नं. 225/23 रकबा 2.00 बीघा का विधिवत तौर आवंटन कर कब्जा सुपूर्द किया गया। पटवार हल्का द्वारा गलत मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार कर, गलत तथ्यों पर उक्त आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र पेश करवाया जो सारहीन होने से खारिज होने योग्य हैं। प्रार्थी द्वारा आवंटन के कई वर्ष बाद उक्त आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जो मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य हैं। नियम 18 आवंटन नियमावली 1970 के तहत 3 वर्ष की अवधि के बाद आवंटी स्वतः ही भूमि का खातेदार हो जाता है। आवंटन को निरस्त करने का कोई तकनीकी उचित कारण नहीं है। आवंटी ने समय समय पर तहसीलदार/पटवारी हल्का को निवेदन/आवेदन किया परन्तु उसको गैर खातेदारी से खातेदारी नहीं मिली। विपक्षी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के खण्डन में विधिक दृष्टान्त आर. आर. टी. 2008 (1) पेज 598, आर. आर. टी. 2011 पेज 659, आर. बी. जे. 2009 पेज 201, डी.एन.जे. (राज.) 1999 पेज 632, आर. आर. डी. 1999 पेज 128, आर.बी.जे. 1995 पेज 1, आर.आर.डी. 1953 पेज 596, आर. एल डब्ल्यू. 2016 (1) पेज 413 सरकार बनाम जसोदा व अन्य, सी.डी.आर. 2007 (2) पेज 974 राज., एस.एस. सी. 1994 पेज 575, आर.बी.जे. 1999 पेज 412, आर.बी.जे. 2020 पेज 765- पेश किये। निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्तीकरण का खारिज किया जाये।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम कचौलिया खुर्द के आ.न. 225/23 रकबा 2.00 बीघा भूमि मौके पर आवंटी का कब्जा काशत नहीं है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गयी है। अप्रार्थी ने आवंटित भूमि पर कब्जा होने संबंधी कोई पुष्ट साक्ष्य पेश नहीं किया है। उक्त विवेचन अनुसार आवंटी द्वारा अर्न्तगत नियम 17 (अ) राजस्थान मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन नियम 68 की पालना नहीं की जाना स्पष्ट होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 17 (अ) राजस्थान मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन नियम 68 स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव—

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 17 (अ) राजस्थान मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन नियम 68 बाबत् भू-आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार कर विपक्षी के नाम आवंटित ग्राम कचौलिया खुर्द के आराजी नं. 225/23 रकबा 2.00 बीघा भूमि आवंटन को खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार माण्डलगढ को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम कचौलिया खुर्द की आ.न. 225/23 रकबा 2.00 बीघा भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डलगढ को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.राजेश गोयल)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा